इकाई 5 आपदा प्रबंधनः अधिनियम, नीति और संस्थागत व्यवस्था

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

5.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत संस्थागत ढाँचा

5.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम. ए)

5.3.2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन ई सी)

5.3.3 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए)

5.3.4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)

5.3.5 आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संस्थान (एन डी आर एम)

5.3.6 राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल (एन डी आर एफ)

5.4 केन्द्र एवं राज्य सरकार की भूमिका

5.4.1 केन्द्रीय सरकार

5.4.2 राज्य सरकार

5.4.3 जिला प्रशासन

5.4.4 एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन

5.5 अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था

5.6 आपदा प्रबंधन नीति

5.6.1 आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति, 2009

5.6.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016

5.7 निष्कर्ष

5.8 शब्दावली

5.9 संदर्भ लेख

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- भारत में आपदा प्रबंधन नीतियाँ;
- भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिनियम; और
- भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढाँचा।

* *योगदानः* डॉ. पूनम रोतैला, एसोसिएट प्रोफेसर, एम.बी. गवर्नमेंट पी जी कालेज, हलद्वानी (उत्तराखण्ड)

5.1 प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन को आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए संकट काल के सभी मानवीय पक्षों, विशेषकर तैयारी, अनुक्रिया एवं पुनरूत्थान से निपटने के लिए संसाधनों एवं दायित्वों के संगठन तथा प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन के लिये आरंभ किये गये विभिन्न चरणों द्वारा समझी जा सकती है

5.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम (Act), 2005 (23 दिसम्बर, 2005) को 9 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। अधिनियम में ''आपदाओं तथा उससे जुड़े उसके प्रासंगिक सभी मसलों के प्रभावी प्रबंधन'' का प्रावधान है। 2005 में निर्मित आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा रोकथाम तथा जोखिम में कमी पर बहु–विषयक मुद्दा/केन्द्र बिन्दु है अथवा राहत केन्द्रित शासन से एक अलग कदम है।

- अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एन.डी.एम.ए. (NDMA)) की संस्थागत ढाँचे के रूप में स्थापना करने को आवश्यक बनाया गया है जो अपने अपने स्थान/स्तरों पर आपदा तैयारी तथा जोखिम में कमी लाने के लिए उत्तरदायी हैं।
- ग्रह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रखंड के पास राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के समान परिचालन की जिम्मेदारी है।
- यह संबधित मंत्रालयों तथा विभागों को राष्ट्रीय योजना के अनुरूप अपनी स्वंय की योजनाएं बनाने को अनिवार्य बनाता है।
- इसके साथ ही अधिनियम में वित्तीय व्यवस्थाओं जैस अनुक्रिया के लिए वित्त, राष्ट्रीय आपदा अल्पीकरण/राहत कोष, राज्य स्तर तथा जिला स्तरों पर इसी प्रकार के कोष के बारे में प्रावधान हैं।

5.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढाँचा

5.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए)

एन.डी.एम.ए. का उद्भव (Evolution of NDMA)

एक संस्था का उद्भव सदैव एक विकासात्मक प्रक्रिया है। एन डी एम ए भी उसी प्रक्रिया से गुजरी है।

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को एक राष्ट्रीय वरीयता के रूप में उसके महत्व को स्वीकार करते हुए अगस्त 1999 में उच्च अधिकार प्राप्त समिति तथा गुजरात भूकम्प के पश्चात एक चुनौतीपूर्ण समिति की स्थापना की। इसकी स्थापना मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण करने पर सिफाशि करने तथा प्रभावी न्यूनीकरण व्यवस्थाओं या उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए की। दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख (Document) में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था। 12वें वित्त आयोग ने भी आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रावधानों के पुनरावलोकन को अनिवार्य कर दिया। 23 दिसम्बर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया जिसमें प्रधानमंत्री की

अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता वाले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को परिलक्षित किया गया जो कि भारत में आपदा प्रबंधन के प्रति समग्र एकबद्ध दृष्टिकोण को चलाने/नेतृत्व देने तथा क्रियान्वयन का कार्य करेंगी।

आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा इसका दायित्व आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं तथा मार्गदर्शिकाओं का तैयार करना तथा प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना है। यह मार्गदर्शिकाएं केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों को अपनी अपनी आपदा प्रबंध योजनाओं के निर्माण में सहायता देती हैं। यह चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए रोकथाम, न्यूनीकरण तैयारी तथा क्षमता निर्माण के लिए अन्य कदम भी उठा सकता है, जैसा यह आवश्यक समझे। इसके शासनादेश/अधिकार पत्र के क्रियान्वयन के लिए, केन्द्रीय मंत्रालयों के विभागों तथा राज्य सरकारों से एन डी एम ए को आवश्यक सहायता तथा सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। एन डी एम ए न्यूनीकरण स्थिति पर दृष्टि रखती है। इसे संबन्धित विभागों या प्राधिकरणों को एक जोखिमभरी आपदा स्थिति या आपदा में बचने तथा राहत के लिए वस्तुओं या सामग्रियों की आपातकालीन खरीद करने का अधिकार है।

एन डी एम ए को प्राकृतिक या मानव–निर्मित सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने का अधिकार है जबकि अन्य आपातकालों में जिसमें सुरक्षा बलों तथा खुफिया ऐजेंसियों की भागीदारी आवश्यक हो जैसे आतंकवाद, बगावत/विद्रोह के खिलाफ कार्यवाही, कानून व व्यवस्था स्थिति, लगातार बम विस्फोट, अपहरण, हवाई दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकरणीय तथा आणविक हथियार सिस्टम, खनन आपदाएं, बन्दरगाह आपत्तियाँ, तेल के क्षेत्रों में आग तथा तेल के रिसाव का निपटान/मुकाबला करना राष्ट्रीय आपत्ति/संकट प्रबंध समिति (एन सी एम सी) ही करती रहेगी। लेकिन एन डी एम ए रसायनिक जैविक, विकिरण आणविक सी.बी.आर.एन. (CBRN) संकटकाल के संबध में प्रशिक्षण एवं तैयारी संबंधी क्रियाओं या गतिविधियों को आसान करने हेतु मार्गदर्शन कर सकती है। विभिन्न विषयों जैसे चिकित्सा तैयारी मनोवैज्ञानिक सामाजिक देखभाल तथा ट्रॉमा (Trauma), समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार तकनीकी प्रशिक्षण, संबन्धित हितधारियों के साथ साझेदारी में प्राकृतिक तथा मनुष्य जनित आपदाओं के बारे में जानकारी पैदा करना आदि में एन.डी.एम.ए. मार्गदर्शक बन सकती है। सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों/प्राधिकरणों के पास उपलब्ध संसाधनों को, जिनमें संकटकाल समर्थन कार्य को सम्पन्न करने की क्षमता है, ऐसी आपदाओं के समय संबधित एंजेसियों को उपलब्ध कराया जायेगा (भारत सरकार, GOI 2011)

एन डी एम ए के कार्य :

एन डी एम ए के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है :

(i) आपदा प्रबंधन नीतियों का निर्धारण

(ii) राष्ट्रीय योजना की स्वीकृति देना

(iii) राष्ट्रीय योजना के अनुरूप भारत सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति देना ।

(iv) राज्य योजनाओं को तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुकरण की जाने वाली मार्ग दर्शिकाओं का निर्माण।

(v) उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा रोकथाम या उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अनुकरणीय मार्गदिर्शिकाओ का निर्माण करना।

(vi) आपदा प्रबंधन की नीतियों व योजनाओं को लागू करने एवं क्रियान्वयन को समन्वित करना

(vii) न्यूनीकरण के उद्देश्य से वित्त के प्रावधान की सिफारिश करना

(viii) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जैसा कि केन्द्रीय सरकार तय करे।

(ix) खतरा देने वाली आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए आपदा रोकथाम, या न्यूनीकरण तैयारी तथा क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जैसा वह आवश्यक समझे।

(x) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकाल के लिए अन्य नीतियों व मार्गदर्शिकाओं का निर्धारण करना।

5.3.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में ग्रह कृषि, आणविक ऊर्जा, रक्षा, जल संसाधन, पर्यावरण तथा वन वित्त (खर्च/व्यय) स्वास्थ्य, बिजली, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार तथा शहरी विकास मंत्रालयों के सचिव स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं तथा ग्रह सचिव इसका पदेन् अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति पूरे देश के लिए इसका वार्शिक पुनरावलोकन तथा इसे अद्यतन बनाने के लिए उत्तरदायी होती है।

5.3.3 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए)

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत सभी राज्यों की सरकारों के लिए अपने अपने राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करना अनिवार्य है। एस डी एम ए का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए अधिक से अधिक 8 सदस्य होते है। धारा 22 के तहत राज्य कार्यकारी समिति राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा राष्ट्रीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। धारा 28 के तहत एस डी एम ए के द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित रूप से राज्य के सभी विभागों ने आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की है।

5.3.4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए (DDMA- Delhi Disaster Management Agency) का अध्यक्ष जिले का कलैक्टर या जिला अधिकारी या उपायुक्त होता है। क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि डी डी एम ए का पदेन सह–अध्यक्ष के रूप में सदस्य होता है।

5.3.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) (NIDM or National Institue of Disaster Management))

1995 में आपदा कमी के लिए अंतराष्ट्रीय रणनीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण या कमी के अंतराष्ट्रीय दशक में, राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान को उस समय के भारत में आपदा प्रबंधन के केन्द्रीय मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं का राष्ट्रीय केन्द्र (एन सी डी एम)

स्थापित करने के लिए प्रेरित किया । 16 अक्टूबर 2003 को आपदा प्रबंधन विषय के ग्रह मंत्रालय के अन्तर्गत होने के साथ, एन सी डी एम को बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान के रूप में उन्नत कर दिया गया। 11 अगस्त 2004 को संस्थान का उद्घाटन भारत के गृहमंत्री ने किया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा एन आई डी एम को वैधिक स्तर प्रदान किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान का दायित्व योजना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र को बढ़ाने/उन्नत करना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित राष्ट्र स्तरीय सूचना आधार का प्रलेखन एवं विकास नीति निर्माण, रोकथाम उपायों को विकसित करना तथा अल्पीकरण उपायों को बढ़ावा देना है।

एन आई डी एम को सरकार द्वार (एन डी एम ए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एन आईडी एवं मार्ग दर्शिका के अनुसार) सम विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा एवं क्षमता निर्माण की उत्कृष्टता के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी.सी. (UGC- Union Grants Commission)) ने एन आई डी एम के साथ मिलकर उच्च शिक्षण तथा शोघ में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक मॉडल (आदर्श) पाठ्यक्रम विकसित किया है। अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पर्यावरण अध्ययन स्कूलों (विभागों) में आपदा प्रबंधन के केन्द्र की परिकल्पना की है । शैक्षिक स्टॉफ कॉलेजों में भी इस विशय को बढ़ावा देने के लिए यू.जी.सी. द्वारा एन.आई.डी.एम. के साथ एक मुख्य ग्रुप (कोर ग्रप) बनाया जा रहा है।

5.3.6 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया फोर्स/बल (एन डी आर एफ)

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना ''आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (धारा 44–45) के अन्तर्गत आपदा स्थिति या आपदा की चुनौती'' के प्रति विशेषज्ञ अनुक्रिया के उद्देश्य से बनाया गया, एक विशेषीकृत बल है। जब गहन प्रकार की विपत्तियाँ अथवा आपदाएं घटित होती हैं, केन्द्र सरकार को प्रभावित राज्यों के निवेदन पर सशस्त्र बलों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल तथा संचार' एवं अन्य संपत्ति उपलब्ध करना जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। एन डी आर एफ का मुखिया महा निदेशक का स्थान रखता है। एन डी आर एफ का महानिदेशक भारतीय पुलिस संगठनों से प्रति नियुक्ति (Deputation) पर लिया गया आई. पी. एस. अधिकारी होता है। यहां महानिदेशक एक तीन स्टार सैनिक अधिकारी श्रेणी के चिहन (बैज) तथा यूनीफॉर्म पहनता है। सितम्बर 2014 में कश्मीर बाढ़ के समय एन डी आर एफ ने पर्यटकों एवं सैन्य बलों को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके लिए भारत सरकार ने एन डी आर एफ को पुरस्कृत किया था ।

एन.डी.आर.एफ. एक शीर्ष संस्था है जिसमें महा निदेशक के अतिरिक्त अनेको महानिरीक्षक (14) तथा उप महा निरीक्षक (DIG) हैं। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अर्ध सैनिक बलों की तर्ज पर गठित निम्न 12 बटैलियनों का बल है जो भारतीय अर्ध सैनिक बलों से प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा चालित है– 3 सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), 3 केन्द्रीय रिसर्व पुलिस बल, (CRPF) 2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, (CISF) 2 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP-Indo-Tibetan Border Police) तथा 2 सशस्त्र सीमा बल (ITBP)। एक बटालियन की–कुल ताकत (गठन संख्या) लगभग 1149 व्यक्तियों की होती है। प्रत्येक बटालियन 45 कार्मिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, बिजली मिस्त्रियों, श्वान स्क्वैड (Dog Squad) तथा चिकित्सा/सहयोगी चिकित्सकों सहित, स्वयं में समर्थ की खोज एंव राहत टीमें प्रदान करने में सक्षम है। (एपन (Eapen), 2016)।

5.4 केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमिका

5.4.1 केन्द्र सरकार

आपदा प्रंबधन अधिनि यम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप, केन्द्र सरकार वे सब कदम उठायेगी जो वह आपदा प्रंबधन की दृष्टि से आवश्यक या उचित समझती है, तथा सभी अभिकरणों के कार्यों को समन्वित करेगी। केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभाग आपदा–पूर्व आवश्यकताओं एंव आपदा रोकथाम तथा न्यूनीकरण पर निर्णय लेते समय राज्य सरकारों की सिफारि ों को ध्यान में रखेंगे। केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभाग अपने विकास योजनाओं एंव परियोजनाओं में आपदा रोकथाम एंव न्यूनीकरण के उपायों को शामिल करें, जोड़े, आपदा–पूर्व आवश्यकताओं के लिए कोष का उचित बँटवारा करें तथा तैयारी एंव किसी भी आपदा स्थिति या आपदा का प्रभावी–प्रत्युक्तर देने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। केन्द्र सरकार के पास एन.ई.सी. (NEC) राज्य सरकार एस.डी.एम.ए. (SDMA's), एस.ई.सी. (SEC) और अन्य अधिकारियों को निर्देशन देने का प्राधिकार होगा और सभी आपदा प्रबंधन कार्यों में वह एजेंसीओ को सहयोग देगी। एजेंसियों व अधिकार्यों को ये निदेश अमल में लाने होगे। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों का उनकी आवश्यकतानुसार या जैसा वे उचित समझे, सहयोग करेगी। यदि आवश्यकता हो तो यह आपदा प्रबंधन के लिए सैनिक बलों की तैनाती करेगी। सैनिक बलों की भूमिका सिविल अधिकारी की सहायता निर्देश 1970 में दिए निर्देशों के अनुसार तय होगी। केन्द्र सरकार आपदा प्रंबधन के संयुक्त राष्ट्र संघ ऐंजेसी के साथ भी तालमेल को सरल बनायेगी। साथ ही विदेश मंत्रालय, गृह–मंत्रालय के साथ तालमेल से, बाहय तालमेल एंव सहयोग को आसान या सुविधाजनक बनायेगा।

i) **केन्द्रीय मंत्रालयों व विभागों की भूमिकाः** क्योंकि आपदा प्रंबधन एक बहु'–विशयक प्रक्रिया है, इसलिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की आपदा प्रंबधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत सरकार के वास्तविक/प्रधान मंत्रालयों तथा विभागों, अर्थात् गृह मंत्रालय, कृषि, नागर–विमानन, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, भू विज्ञान, जल संसाधन, खनन, रेलवे आदि के सभी सचिव एन ई सी के सदस्य होते हैं, तथा अपनी मूल दक्षताओं पर आधारित विशिष्ट आपदाओं या उनकी प्रदत्त आपदाओं के लिए प्रधान एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहेंगे।

ii) **राष्ट्रीय संकट प्रंबध समिति (एन सी एम सी** – National Crisis Management Committee) केबिनेट सचिव की–अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकारियों से बनी एन सी एम सी, गंभीर परिणामों वाले प्रमुख संकटों से निपटना जारी रखेगी। इसकी सहायता केन्द्रीय प्रधान मंत्रालयों के संकट प्रंबध समूह करेगे तथा आवश्कतानुसार राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सहायता करेगी।

5.4.2 राज्य सरकारें

आपदा प्रंबधन की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र, राज्य एंव जिला स्तरों पर स्थापित की गयी संस्थागत व्यवस्थाएं राज्यों को प्रभावी ढंग से आपदा के प्रंबधन में सहायता करेंगी। आपदा प्रंबधन अधिनियम, 2005, राज्य सरकारों को, राज्य आपदा प्रंबधन योजना तैयार करने के कदम उठाने, आपदा रोकथाम या अल्पीकरण के उपायों को राज्य की विकास योजना के साथ एकीकृत करने, धन आवंटन, शीघ्र चेतावनी सिस्टम (Early Warning System) की स्थापना करने तथा आपदा प्रंबधन के विभिन्न पक्षों में केन्द्र सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता करने का आदेश देता है।

5.4.3 जिला प्रशासन

जिला स्तर पर, डी डी एम ए (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय तथा क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा अपने अपने जिलों में आपदा प्रबंधन के उददेश्य से एन डी एम ए (NDMA) तथा संबंधित एस डी एम ए (SDMA) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप सभी कदम बढ़ायेगी।

5.4.4 एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रंबधन।

कभी–कभी, एक राज्य में घटित होने वाली आपदाएँ पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों तक फैल सकती है। इसी तरह, कुछ आपदाओं के संदर्भ में, जैसे बाढ़ आदि के रोकथाम उपाय एक राज्य में लिए जाना आवश्यक हो सकता है, यद्यपि उनका घटित होना अन्य राज्य को प्रभावित कर सकता है। देश का प्रशासनिक अनुक्रम राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय प्रशासन में गठित है। इससे एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं के मामले में कुछ कठिनाईयॉ पैदा होती है। ऐसी स्थितियों का प्रबंधन एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता बताता है, जो कि घटना के पूर्व, दौरान तथा पश्चात् साधारणतः उपस्थित स्थितियों से काफी भिन्न विषम श्रृंखलाओं के प्रति अनुक्रिया दे सकें। एन डी एम ए ऐसी स्थितियों की पहचान करने को प्रोत्साहन देगी तथा राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों एवं अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा निपटाए जाने वाली समन्वित कार्यनीतियों के लिए आपसी सहायता समझौतों की तर्ज पर व्यवस्थाओं की स्थापना को बढावा देंगी। (एपन, Eapen 2016)।

5.5 अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था

i) **सैनिक बल (Armed Forces)**

परम्रागत रूप से, सैनिक बल नागरिक प्रशासन उस समय सहायता के लिए बुलाए जाते हैं, जब स्थिति उनकी सामना करने की क्षमता से बाहर हो जाए। व्यवहार में यद्यपि, सैनिक बल सभी गंभीर आपदा स्थितियों में तत्काल उत्तरदाता होते हैं। अपने प्रशिक्षण, व्यापक अनुभव, जोखिम उठाने की मानसिकता। तेजी एवं उन्हें उपलब्ध संसाधनों के कारण, सैनिक बलों ने ऐतिहासिक रूप में संकटकाल सहायता कार्यों में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। इनमें संकटकाल संचार, खोज एंव बचाव कार्य, स्वास्थ्य एंव चिकित्सा कार्य, परिवहन, विभाग सेवा, हैलीकाप्टर सेवा, राहत सामग्री को ले जाना, पड़ोसी राज्यों की संकट–अनुक्रिया आदि शामिल है। सैनिक बल, प्रशिक्षणदाताओ तथा आपदा प्रबंधन प्रबंधकों को प्रशिक्षित करते है, विशेषकर रासायनिक जैविक विकिरण तथा आणविक (Nuclear) मामलों में, हैलीकाप्टर प्रवेश, अधिक ऊँचाई बचाव, नाविक जहाज तथा अर्ध चिकित्सकों के प्रशिक्षण में। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत सुरक्षा स्टॉफ का मुख्यि/चीफ, स्टॉफ को अध्यक्षों की समिति के चेयरमैन, एन ई सी का सदस्य होता है।

ii) **केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल (सी ए पी एफ)**

सी ए पी एफ (CAPF-Central Armed Police Forces), जो गृह मंत्रालय के अधीन संघीय सैन्य बल भी होते है, आपदा प्रत्युक्तर में मध्य भूमिका निभाते हैं। एन डी आर एफ (NDRF), सी ए पी एफ्स से बने एक प्रति नियुक्त बल अधिकारियों को सांचा करता है। इसके अतिरिक्त, सी एपी एफ एक निर्धारित समय में अपनी तैनाती वाले क्षेत्र में संभावित,

किसी भी आपदा का मुकाबला करने तथा स्वंय की क्षमताओं का विकास करती है। क्योंकि सी ए पी एफ्स पूरे भारत वर्ष में फैली होती है, उनकी देशभर में उपस्थिति तथा संसाधन क्षमता उनकी गतिशीलता को काफी शीघ्र एकत्रित कर देती है। इसके अतिरिक्त, वे संघीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होती है, जो कि आपदा प्रंबधन के लिए प्रधान मंत्रालय है।

iii) राज्य पुलिस, अग्नि शमन सेवाएं तथा होम गार्ड्स

राज्य पुलिस बल, अग्नि तथा आपातकाल सेवाएं तथा होम गार्ड्स (State Police, Fire Services and Home Guard) बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा किसी आपदा के तत्काल उत्तरदाता है। बहुत–विपदा बचाव कार्यों में पुलिस का सीमित प्रशिक्षण होता है। फिर भी अग्नि शमन सेवाएं अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है तथा आपातकाल अनुक्रिया में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है। होम गार्ड स्वेच्छाकर्मी भी बल गुणक होगे यदि उनको आपदा तैयारी, आपातकाल अनुक्रिया, सामुदायिक लामबंदी आदि में प्रशिक्षित किया जा सके।

iv) नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफैस, CD) तथा होम गार्ड्सः

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स (Civil Defence and Home guards) को शहरी क्षेत्र मे जन –जागरण तथा सामुदायिक तैयारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि पड़ोसी समुदाय सदैव किसी आपदाओं प्रथम उत्तरदाता/प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं, इसलिए किसी भी आपदा की स्थिति में किसी कार्य स्टेशन पर स्वेच्छा से पहुँचने की एक संस्कृति, प्रत्येक जिले में CD को पुनः सक्रिय करना आपदा अनुक्रिया में लाभप्रद हो सकता है। नागरिक सुरक्षा को जिला केन्द्रित बनाने तथा आपदा अनुक्रिया में भागीदार होने का प्रस्ताव भारत सरकार में पहले ही स्वीकृत कर लिया है। लेकिन, राज्य सरकारों द्वारा उन्हें सही ढंग से संगठित करने के प्रयास दिखाई नहीं दिए है।

v) स्थानीय निर्वाचित निकाय (Local Elected Bodies)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने एन. ए सी. (N.A.Cs) नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions or PRIs) की भूमिका की परिभाषा धारा 41 (1) (2) में की हैं, इन निकायों से यह अपेक्षित है कि ये अपने कर्मिकों या अधिकारियों का आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा अपदा प्रबंधन से जुड़े संसाधनों को सुनिश्चित करें। इन निकायों के लिए राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लागू करना भी आवश्यक हैं। एस. डी. एम. ए तथा डी डी एम ए स्थानीय निकायों को अपनी आपदा प्रबंधन योजना में निश्चित भूमिका तथा दायित्व सौंपती हैं तथा उचित रूप में एकीकृत अनुक्रिया प्रणाली में एकीकृत करती हैं। एकीकृत अनुक्रिया प्रणाली (आई आर एस) क्या है ? इसकी चर्चा बाद में की जायेगी।

vi) आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी

समुदाय आधारित संगठन जैसे गैर सरकारी संगठन, स्वंयसेवी समूह (SHG or Self Helf Groups), युवा संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कार्प या एन.सी.सी. (NCC or National Cadet Corps) के वोलन्टीयर्स (Volunteers), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS or National Service Scheme), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन वाई के एस NYKS or National Yuva Kendra Sangathan) तथा भारत सरकार द्वारा वित्तपोशित विभिन्न परियोजनाओं कर्मचारी जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम NRHM or National Rural Health Mission) समन्वित/एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस ICDS or Integrated Child Development Services) आदि प्रायः किसी भी आपदा के पश्चात अपनी सेवाएं प्रदान

करने की पेशकश करती है। इन युवा आधारित संगठनों के सामर्थ को आपंदा प्रबंधन पर उन्हें प्रशिक्षण देकर और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

vii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

आपदाएं भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती हैं। बड़ी आपदाएं एक साथ अनेकों देशों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रत्येक देश का यह प्रयास होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अति निकट सहयोग एवं समन्वय विकसित किया जाए। यहाँ कूटनीति (Diplomacy) की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं।

बोध प्रश्न 1

नोटः 1. अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
2. इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

.....

.....

.....

2. एस डी एम ए तथा डी डी एम ए के बारे में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

3. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन डी आर एफ) की व्यख्या कीजिए।

.....

.....

.....

5.6 आपदा प्रबंधन नीति

5.6.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन पी डी एम), 2009

आपदा प्रबंधन के लिए समग्रवादी, सक्रिय, बहु–आपदा तथा तकनीकि–चालित रणनीति तैयार करके, एक सुरक्षित एंव आपदा लचीला भारत बनाने व राष्ट्रीय दृष्टि को ध्यान में रखतें हुए तथा पर्याप्त विचार–विमर्श के पश्चात राष्ट्रीय नीति ढाँचा तैयार किया गया है। यह समझा गया था कि आपदाओं के दौरान तुरंत तथा कुशल अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण तथा तैयारी की संस्कृति के माध्यम से यह प्राप्त किया जा सकता है, संपूर्ण प्रक्रिया ने समुदाय को केन्द्र में रखा तथा समस्त सरकारी अभिकरणों एवं गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ NGOs or Non-governmental Organisations) के सामूहिक प्रयास से गति एंव अवलम्बन प्रदान किया हैं।

इस दृष्टिकोण को नीति एवं योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए एन डी एम ए ने राष्ट्रीय, राज्य एंव स्थानीय स्तरों पर क्रियाशील अनेकों संस्थाओं की सहायता से अनेकों पहलों वाले मिशन मोड (लक्ष्य रूप) को अपनाया हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों एवं अन्य हितधारकों की

नीतियों एवं मार्गदर्शिकाओं को विकसित करने की भागीदारी को पराम ादायी प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य है–

- ज्ञान नवोन्मेष तथा शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी तथा पलटाव की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- तकनीकि, पारम्परिक ज्ञान तथा पर्यावरणीय दीर्घकलिक स्थिरता या निरंतरता पर आधारित न्यूनीकरण (Mitigation) को प्रोत्साहित करना।
- आपदा प्रबंधन को विकासात्मक योजना प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना।
- एक समर्थ करने वाली नियामक पर्यावरण तथा अनुपालन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए संस्थागत एंव तकनीकी ढाँचों (Structures) की स्थापना करना।
- आपदा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा निगरानी (Monitoring) के लिए कुशल व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- तकनीकी सूचना सहायता से संवदेनशील तथा असफलता के विरूद्व सुरक्षित संचार से समर्थित अद्यतन पूर्व चेतावनी तथा समाकलीन पूर्वानुमान व्यवस्थाओं को विकसित करना।
- समाज के संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान रखने वाली दृष्टि के साथ कुशल अनुक्रिया तथा राहत सुनिश्चित करना।
- आपदा स्थिति–स्थापक (Resilient) संरचनाओं तथा सुरक्षित जिंदगी के लिए आवासों के निवास के लिए पुननिमार्ण हाथ में लेना
- आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उपयोगी एंव सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

5.6.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन डी एम सी), 2016

भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन डी एम पी NDMP or National Disaster Management Plan) का देश में सबसे पहली राष्ट्रीय योजना के रूप में विमोचन किया।

प्रमुख विशेषताएं

एन डी एम पी सेनडाई रूपरेखा (Sendai Framework) में उल्लिखित दृष्टिकोण को काफी हद तक शामिल करती है। योजना में आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल किया गया है – रोकथाम, न्यूनीकरण, अनुक्रिया तथा पुनरूत्थान। यह सरकार को सभी अभिकरणों एवं विभागों के बीच समानान्तर (Horizontal) तथा लंबवत (Vertical) समाकलन (Integration) की व्यवस्था करती है। योजना का उद्देश्य भारत को आपदा स्थिति–संस्थापक (Disaster resilient) बनाना है। इसकी संरचना सभी प्रकार के आपदाओं के प्रत्युत्तर की तैयारी में वृद्वि करके तथा आपदा जोखिम में कमी को विकास के साथ एकीकृत करके सभी स्तरों पर आपदाओं का मुकाबला करने की देश की क्षमता को अधिक से अधिक करने के लिए बनी हैं।

योजना मे आपदा प्रबंधन की वैश्विक प्रवृतियों को भी ध्यान में रखा गया है। यह सेन्डाई रूपरेखा या फ्रेमवर्क (2015–2030) में उल्लेखित आपदा जोखिम में कमी के प्रति

दृष्टिकोण को शामिल करता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक समझौता है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

- योजना में पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर तक सरकार के सभी स्तरों को भूमिका तथा उत्तरदायित्व आवंटित किए गए हैं।
- क्योंकि योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, इसलिए यह न केवल आपदा प्रबंधन अपितु, विकासात्मक योजना के लिए भी लाभदायक हैं।
- यह प्रमुख क्रियाकलापों जैसे पूर्व चेतावनी, सूचना प्रसारण, स्वास्थ्य देखभाल, ईंधन, यातायात, खोज तथा बचाव, निकासी आदि की पहचान करती है जो कि आपदा का प्रत्युत्तर देने वाली अभिकरणों के लिए एक जाँच सूची (Check-list) का काम करें।
- योजना आपदाओं का सामना करने के लिए समुदायों को तैयार करने पर बल देती हैं, इसलिए यह सूचना, शिक्षा तथा संचार के क्रिया कलापों पर जोर देती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना संन्डाई फ्रेमवर्क की वरीयता विशयों पर भी आधारित है जिनका नाम हैं –

आपदा–जोखिम को समझना, आपदा–जोखिम शासन को सुधारना, आपदा जोखिम की एवं आपदा तैयारी में निवेश करना (संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक तरीकों के द्वारा), पूर्व चेतावनी तथा एक आपदा के घटित होने के पश्चात अच्छा निर्माण करना।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल करती हैं : रोकथाम, न्यूनीकरण, अनुक्रिया एंव पुनरूत्थान। यह प्रमुख कार्यकलापों जैसे पूर्व चेतावनी सूचना प्रसार, स्वास्थ्य देखभाल, ईंधन, परिवहन, खोज व बचाव, निकासी आदि की पहचान भी करती है ताकि वे एक आपदा का सामना कर रहे अभिकरणों के लिए जाँच सूची के रूप में काम कर सकें। यह पुनरूत्थान के लिए एक सामान्यीकृत ढाँचा भी प्रदान करती है तथा एक स्थिति के मूल्यांकन तथा वापस अच्छा निर्माण करने के लिए लोच शीलता प्रदान करती है, साथ ही आपदाओं का सामना करने के लिए समुदायों को तैयार करने के लिए, एन डी एम पी सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों की अधिकाधिक आवश्यकता पर बल देती हैं।

बोध प्रश्न 2

नोटः 1. अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
2. ईकाइ के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदुओ को लिखिए।

.....

.....

.....

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 की विशेषताओं को उजागर कीजिए।

.....

.....

.....

5.7 निष्कर्ष

प्रमख आपदाओं जैसे 1999 का सुपर चक्रवात, 1999 एवं 2001 मे आये भूकम्प से जीवन और सम्पत्ति को अधिक क्षति पहुंची। बड़े पैमाने पर तबाही के कारण, भारत में आपदा प्रबन्धन से संबंधित संरचनात्मक व्यवस्था के उपाय आरंभ किये गये। ऐसे कुछ उपायों की इस इकाई में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

5.8 शब्दावली

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Disaster Management Act) : आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 (23 दिसम्बर 2005) को 9 जनवरी 2006 को भारत के राश्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। एक्ट संपूर्ण भारत में लागू है। एक्ट में आपदाओं या उससे जुड़े मसलों या इसके सिवा आकस्मिक घटनाओं के प्रभावी प्रबंधन की व्यवस्था प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) (National Disaster Management Authority) : एन डी एम ए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं तथा मार्गदार्शिकाएं निर्धारित करने तथा आपदा के प्रति समय पर एंव प्रभावी प्रत्युत्तर प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य योजनाएं को बनाने मे अनुसरण की जाने वाली मार्गदार्शिकाओं का निमार्ण करने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन डी आर एफ) (National Disaster Response Force) : राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर फोर्स एक विशेषज्ञ/विशेषीकृत फोर्स है जिसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 (धारा 44–45) के तहत आपदा स्थिति का खतरा वाली या आपदा के विशेषीकृत प्रत्युत्तर के उद्देश्य से किया गया है। जब गंभीर रूप की आपदांए घटती हैं, केन्द्र सरकार प्रभावित राज्य को सहायता तथा मदद देने के लिए, राज्य के निवेदन पर सैन्य बलों, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर फोर्स (एन डी आर एफ) की तैनाती तथा ऐसे संचार आकाश तथा अन्य परिसम्पत्ति को उपलब्ध कराती है और जिनकी आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम (National Institute of Disaster Management)) : एन आई डी एम को भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के समकक्ष विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तथा समता निर्माण में उत्कृष्टता का संस्थान का दर्जा दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एन आई डी एम के साथ उच्च शिक्षा तथा शोध में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक आदर्श पाठ्यक्रम विकसित किया है।

5.9 संदर्भ लेख

Eapen, A. (2016). Role of Indo-Tibetan Border Police in disaster response in *hill area border villages: An analytical study*. Unpublished Thesis. New Delhi: IGNOU.

Government of India. (2005). Disaster Management Act, 2005. New Delhi: National Disaster Management Authority.

Government of India. (2016). *National Disaster Management Plan*. New Delhi: National Disaster Management Authority.

United Nations General Assembly Session *54 Resolution 219*. (2000). Retrieved from https://unisdr.org/files/resolutions/N0027175.pdf

National Institute of Disaster Management. Retrieved from http://www.nidm.gov.in/

National Disaster Management Authority. Retrieved from https://ndma.gov.in/en/

National Disaster Response Force. Retrieved from http://www.ndrf.gov.in

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।
   - राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 में निर्मित हुआ
   - संस्थानिक ढाँचा जैसे एन डी एम ए, एन ई सी, एन डी आर एफ, एस डी एम ए तथा डी डी एम ए
2. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।
   - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
   - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।
   - एन डी आर एफ आपदा स्थिति के खतने या आपदा के विशेषीकृत प्रत्युत्तर के उद्वे य से गठित एक विशेषीकृत फोर्स या बल है
   - यह सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल से बनी है।
4. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।
   - केन्द्रीय मंत्रालयों व विभागों की भूमिका
   - राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की भूमिका
   - राज्य तथा जिला प्रशासन

बोध प्रश्न 2

1. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009

2. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।

   - एन डी एम पी आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल करती हैं – रोकथाम, न्यूनीकरण प्रतिक्रिया तथा पुनरूत्थान
   - उसने पंचायत तथा स्थानीय नगर निकायों के स्तर तक सरकार के सभी स्तरों की भूमिका तथा दायित्वों मैट्रिक्स रूप में दर्शाया है।
   - यह आपदा जोखिम में न्यूनीकरण को विकास के साथ जोड़कर तथा सभी प्रकार की आपदाओं के प्रतिक्रिया की तैयारी में वृद्धि करके सभी स्तरों पर आपदाओं का सामना करने की देश की क्षमता को अधिकतक करने में सहायता करेगा।

3. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।

   - राष्ट्रीय स्तर
   - राज्य स्तर
   - जिला स्तर

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY